257

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 106-एक/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-11-2016 - पारित द्वारा तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर - प्रकरण कमांक 90 अ-68/2015-16

गोविन्द सिंह बुन्देला पुत्र श्री मानिक सिंह बुन्देला
ग्राम मउ सहानिया तहसील नौगॉव
जिला छत्तरपुर मध्य प्रदेश --- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन --- अनावेदक

(अआवेदक के अभिभाषक श्रीमती मीना शुक्ला)

(अनावेदक के पैनल लायर श्री राजीव गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक 19 - 1 - 2017 को पारित)

तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 90 अ-68/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई ।

निगरानी प्रकरण 106/I/2017

2- प्रकरण का सारॉश यहकि, कि पटवारी हल्का मउ में तहसीलदार नौगाव को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मउ स्थित भूमि खसरा नंबर 1314/3 रकवा 0.699 हैक्अर, जो मध्य प्रदेश 'ाासन 'ाासकीय भवनो हेतु आरक्षित है, पर गोविन्द सिंह बुन्देला पुत्र श्री मानिक सिंह बुन्देला ने बटांकन में 1314 बटांकन में मकान व दुकान बना लिया है । तहसीलदार नौगाव में प्रकरण कमांक 90 अ-68/2015-16 पंजीबद्ध किया गया । बटांकन की फर्जी प्रविष्ट से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3- निगरानी मैमो में अंकित आधारो पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4- निगरानी मेमो के तथ्यों एवं उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्को एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थित यह है कि पटवारी द्वारा तहसीलदार नौगॉव को बटांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत रिपोर्ट पर से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1314 रकवा 0.699 हैक्टर मध्य प्रदेश 'ाासन द्वारा भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित है एवं सही प्रविष्ट खसरा बटांकन 1314 है इसकी फर्जी प्रविष्ट 1314/3 कर दी है । जो निरस्त योग्य है । अर्थात वाद विचारित भूमि पर मद भवन निर्माण हेतु बटांकन 1314 सुरक्षित है । जिसके 30 X 40 वर्गफुट पर मकान व दुकान बनाकर बटांकन करना पटवारी ने प्रतिवेदित किया है, तब क्या निर्मित पक्के मकान एवं दुकान के भाग को बटांकन 1314/3 अंकित किया है जिससे फर्जी तरह से प्रविष्ट की है । सही प्रविष्ट 1314 अंकित की जावे । अनुजराम विरुद्ध मध्य प्रदेश 'ाासन 1969 राजस्व निर्णय

निग.पु.प्र.106/I/2017

447 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के आश्वासन पर कि भूमि का पट्टा दिया जायेगा, मकान निर्माण सदभावनापूर्ण किया गया, ऐसा फर्जी प्रविष्ट अंकित न की जावे । विचाराधीन प्रकरण में ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को दिनांक 16-4-1999 में भूमि खसरा नं 1314 पर 30 X 40 वर्गफुट पर मकान बनाने हेतु पट्टा प्रदान किया है । इसी प्रकार बेनीप्रसाद पाण्डेय विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 1980 रा.नि. 154 का न्याय दृष्टांत है कि आवेदक को ग्राम पंचायत ने पट्ट दिया जो इतालवी खसरा नं. 1314 विधिवत रजिटर में दर्ज है । भवन निर्माण की ग्राम पंचायत की अनुमति है राजस्व मण्डल में तहसीलदार द्वारा बटांकन के अन्तर्गत पारित आदेश, एस.डी.ओ. का अपीलीय आदेश तथा अतिरिक्त आयुक्त का अपीलीय आदेश दिनांक 9-9-76 निरस्त किया है एवं निगरानी स्वीकार हुई है । विचाराधीन प्रकरण की भी यही स्थिति है क्योंकि ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को ग्राम मउ की भूमि खसरा नं. 1314 के 30 X 40 वर्गफुट मकान बनाने हेतु पट्टा दिया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-1-2007 को आवेदक को मकान बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई है । तदुपरांत आवेदक ने ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर मकान का निम्राण करना अभिलेख से परिलक्षित है पूर्व में ग्राम न्यायालय ने बटांकन की शिकायत होने पर आदेश दिनाक 30-09-2004 से बटांकन 1314/3 न होना मानकर प्रकरण निरसत हुआ है जिसके कारण आवेदक के विरूद्ध इन अभिलेखों के देखे बिना तहसीलदार नौगॉव द्वारा प्रकरण कमांक 90 अ-68/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2016 से की गई फर्जी बटांकन की कार्यवाही नियमानुसार होना नहीं पाई गई है. क्योंकि आवेदक द्वारा ग्रामक पंचायत से बाद विचारित भूखण्ड लेना

निग.प्र. 106/I/2017

प्रमाणित किया है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 90 अ-68/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2016 बटांकन कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर